FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –**जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

श्री रामलाल पुत्र गोकुलराम व अन्य बनाम श्री सलामुद्दीन पुत्र गफ्फार खां

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. मुकदमा नं. 09 सन् 2020

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10–ए सी.पी.सी पर बहस हेतु निवेदन किया गया। जिस पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10–ए सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 01 सलामुद्दीन पुत्र गफार की मृत्यु दिनांक 14.01.2024 को हो चुकी हैं। जिनके वारिस प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 05.04.2024 को प्राप्त की गई हैं। जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई हैं। जिस हेतु दिनांक 18.06.2025, 27.06.2025 व दिनांक 11.08.2025 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से पत्रावली अबेटमेंट से खारिज हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु समय चाहा गया। जिस पर वकील प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि कायम मुकाम हेतु वकील अपीलांट को तीन बार अन्तिम मौका दिया जा चुका हैं व दिनांक 05.04.2024 से उक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक लम्बित हैं। अतः अबेटमेन्ट के आधार पर अपील खाजिर फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10–ए सी.पी.सी. वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 05.04.2024 को प्राप्त करने के पश्चात् भी तीन बार अन्तिम अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने उपरान्त भी कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रतीत होता हैं कि अपीलांट/वकील अपीलांट उक्त अपील को चलाये जाने में किसी प्रकार की रूचि प्रकट नहीं की हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कायम मुकाम कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील अबेटमेंट के आधार पर निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर अजमेर	